

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बी-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

तारांकित प्रश्न संख्या:- 79

दिनांक:- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता:- श्री प्रवीन कुमार

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

प्र0स	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हाउसिंग लोन भी देता है ;	जी नहीं ।
(ख)	यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा	उपरोक्त अनुसार ।
(ग)	क्या यह सत्य है कि विभिन्न ऋण दिए जाने की प्रक्रिया तथा नियम व शर्तें इतनी जटिल है कि अधिकतर लोग उन ऋणों का लाभ नहीं उठा पाते है ;	जी नहीं ।

(घ)	क्या विभाग की इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण की कोई योजना है ; और	यह निगम समय-समय पर कार्यान्वित योजनाओं का आंकलन करते हुए नियमानुसार उनका सरलीकरण करने हेतु नियम एवं शर्तों में संशोधन करता रहता है ।
(ड.)	जो अधिकारी ये ऋण देने के लिए उत्तरदायी है उनका सम्पर्क- ब्यौरा ?	विवरण अनुलग्नक " क " पर सलंग्न है ।

(सचिव)

अ.जा. / ज.जा. / अ.पि.व. / कल्याण विभाग

अनुलग्नक 'क'

1.	योजना प्रभारी दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि० अम्बेडकर भवन, सैक्टर -16, रोहिणी, दिल्ली-110085
2	शाखा प्रभारी दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि० ए-ब्लॉक, प्रथम तल, बुनकर भवन, उपायुक्त कार्यालय (नार्थ ईस्ट), गगन सिनेमा के सामने, नन्द नगरी, दिल्ली-110093
3	शाखा प्रभारी दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि० ए-33-38, बी- ब्लॉक, लाल बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन के पास, मंगोल पुरी, दिल्ली-110083
4	शाखा प्रभारी दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि० 2, बैटरी लेन, राजपुर रोड़, दिल्ली-110054